उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ–226001
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
UTTAR PRADESH RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
(A U.P. Government Undertaking)
CIN : U40101UP1980SGC005065

संः 817 –मा0सं0–03/विउनिलि/2023–5(6)–मा0सं0–03/2012 दिनॉक 10-04-2023

कार्यालय–ज्ञाप

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में पूर्व समयबद्ध वेतनमान की व्यवस्था के स्थान पर निगम में कार्यरत अर्ह एवं पात्र कार्मिकों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) व्यवस्था के अन्तर्गत 09 वर्ष, 14 वर्ष एवं 19 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन प्रदान किये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप सं0 1254/मा0सं–04/उनिलि/2011, दिनांक 16.12.2011 निर्गत किया गया था एवं उक्त आदेश को निगम में दिनांक 28.02.2009 से प्रभावी किया गया था।

तदन्तर, सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन सम्बन्धी उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप सं0 1254/मा0सं–04/उनिलि/2011, दिनांक 16.12.2011 को अवक्रमित करते हुए निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1300/मा0सं0–04/उनिलि/2017, दिनांक 31.08.2017 सपठित आदेश संख्या 1427/ मा0सं0–04/उनिलि/2017, दिनांक 26.09.2017 द्वारा नवीन वित्तीय स्तरोन्नयन सम्बन्धी निगमादेश निर्गत किया गया।

उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या 1300/मा0सं0–04/उनिलि/2017, दिनांक 31.08.2017 सपठित आदेश संख्या 1427/ मा0सं0–04/उनिलि/2017, दिनांक 26.09.2017 के संगत प्राविधानानुसार निगम में कार्यरत अर्ह एवं पात्र कार्मिकों को उसके संवर्ग के निम्नांकित पद से (निगम में आगमन के मूल पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से) कुल तीन वित्तीय स्तरोन्नयन प्रदान किये जाने की व्यवस्था निम्नानुसार है :–

पदनाम	मूल पद का ग्रेड–वेतन	प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन पर ग्रेड वेतन	द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन पर ग्रेड–वेतन	तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन पर ग्रेड–वेतन
अवर अभियन्ता	4200 (लेवल–6) से 4600 (लेवल–7) पर 31.12.2015 से उच्चीकृत	4800 (लेवल–8)	5400 (लेवल–10)	6600 (लेवल–11)

2– इस सम्बन्ध में अग्रेतर कृपया अवगत कराना है कि वेतन मैट्रिक्स लेवल–10 (अपुनरीक्षित ग्रेड– पे रू0 5400) के पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले शासकीय सेवकों के लिये उ0 प्र0 शासन द्वारा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन(ए0सी0पी0) की व्यवस्था में संशोधन विषयक शासनादेश सं0 6/2019/वे0आ0–2–279/ दस–2019–62(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 04.11.2019 निर्गत किया गया था, जिसके अन्तर्गत मुख्यतः निम्नवत प्राविधानित किया गया थाः–

2(क) इस प्रकार के शासकीय सेवक की पदोन्नति यदि उनकी 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पहले ही किसी ऐसे पद पर हो जाती है जिसका वेतन मैट्रिक्स लेवल–11 (अपुनरीक्षित ग्रेड पे रू0 6600) या उससे उच्च है तो उन्हें प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय नहीं रह जायेगा।

2(ख) इस प्रकार के शासकीय सेवक की पदोन्नति यदि उनकी 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पहले ही किसी ऐसे पद पर हो जाती है जिसका वेतन मैट्रिक्स लेवल–12 (अपुनरीक्षित ग्रेड रू0 7600) या उच्च है तो उन्हें द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय नहीं रह जायेगा।

क्रमशः.....2/–

2(ग) इस प्रकार के शासकीय सेवक की पदोन्नति यदि उनकी 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पहले ही किसी ऐसे पद पर हो जाती है जिसका वेतन मैट्रिक्स लेवल–13 (अपुनरीक्षित ग्रेड रू0 8700) या उच्च है तो उन्हें तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय नहीं रह जायेगा।

2(घ) उक्त उप प्रस्तरों (क), (ख), एवं (ग) से यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के शासकीय सेवकों को किसी भी दशा में ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल–13 (अपुनरीक्षित ग्रेड रू0 8700) से उच्च वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स लेवल का लाभ अनुमन्य नहीं होगा और यदि उनकी पहली पदोन्नति ही सीधे मैट्रिक्स लेवल–12 (अपुनरीक्षित ग्रेड रू0 7600) के पद पर होती है तो उन्हें प्रथम और द्वितीय ए0सी0पी0 देय नहीं रह जायेगी तथा यदि पहली पदोन्नति ही वेतन मैट्रिक्स लेवल–13 (अपुनरीक्षित ग्रेड रू0 8700) के पद पर होती है तो उन्हें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कोई भी ए0सी0पी0 देय नहीं रह जायेगी।

उपरोक्त प्राविधान वस्तुतः रू0 5400 ग्रेड–वेतन पर सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिको के लिये वर्णित है, परन्तु सुनिश्चित कैरियर प्रोन्यन (ए0सी0पी0) के अन्तर्गत उपरोक्त स्पष्टीकरण समस्त संवर्ग/ग्रेड–वेतन पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त होने वाले कार्मिकों के लिये मानक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाना सर्वथा तार्किक एवं नियम–सम्मत है।

3– इस सम्बन्ध में अग्रेतर कृपया अवगत कराना है कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में कार्यरत अवर अभियन्ताओं को अवर अभियन्ता सेवा विनियमावली–1972 एवं आदेश संख्या–965–पी0/रावि0प–30–4पी/86, दिनांक 19.06.1989 तथा समय–समय पर निर्गत अन्य संगत आदेशों में दी गई व्यवस्थानुसार अवर अभियन्ता पद पर उनकी सीधी भर्ती/प्रोन्नति की तिथि से गणना करते हुए उन्हें 09 वर्ष, 14 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन सम्बन्धी निगमादेश संख्या:–1300/मा0सं0–04/उनिलि/2017, दिनांक 31.08.2017 सपठित आदेश संख्या 1427/ मा0सं0–04/उनिलि/2017, दिनांक 26.09.2017 में निहित प्राविधानानुसार यथानिर्धारित प्रतिबन्धों के अधीन कार्यालय ज्ञाप संख्या–02–मा0सं0–03/उनिलि/2020, दिनांक 01.01.2020 निर्गत किया गया था।

उक्त निगमादेश सं0–02, दिनांक 01.01.2020, कार्यालय ज्ञाप सं0–1300, दिनांक 31.08.2017 के निदेशक मण्डल के निर्णय /आदेश के विपरीत तथा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना, तत्कालीन निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0) द्वारा जारी करते हुए कतिपय कार्मिकों को अनुचित लाभ पहुँचाया गया, जिससे निगम को वित्तीय हानि हो सकती थी।

4– इस सम्बन्ध में अग्रेतर कृपया अवगत कराना है कि वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप सं0–02–मा0सं0–03/उनिलि/2020, दिनांक 01.01.2020 में प्रस्तर–2 के अन्तर्गत तालिका में क्रम सं0 19 से 64 पर अंकित अवर अभियन्ताओं (ग्रेड–वेतन 4600, लेवल–7) को देय प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु यथानिर्धारित कुल 09 वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण किये जाने से पूर्व सहायक अभियन्ता (ग्रेड–वेतन 5400, लेवल–10) के पद पर प्रोन्नत हो चुके अवर अभियन्ताओं को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन पर ग्रेड वेतन–4800 (लेवल–8) एवं द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन पर ग्रेड वेतन–5400 (लेवल–10) अनुमन्य नहीं होगा, क्योंकि वह सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप ग्रेड वेतन–5400 (लेवल–10) का लाभ प्राप्त कर चुके थे।

इसी प्रकार कार्यालय ज्ञाप सं0–02–मा0सं0–03/उनिलि/2020, दिनांक 01.01.2020 में प्रस्तर–2 के अन्तर्गत तालिका में क्रम सं0 19 से 64 पर अंकित अवर अभियन्ताओं (ग्रेड–वेतन 4600, लेवल–7) को देय प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु यथानिर्धारित 09 वर्ष से 14 वर्ष की नियमित/संतोषजनक सेवा पूर्ण किये जाने के मध्य उनकी प्रोन्नति सहायक अभियन्ता (ग्रेड–वेतन 5400, लेवल–10) के पद पर हो चुकी है, तद्नुसार उन्हें द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन रू0 5400/– ग्रेड–वेतन का लाभ अनुमन्य नहीं होगा, क्योंकि वह सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप ग्रेड वेतन–5400 (लेवल–10) का लाभ प्राप्त कर चुके थे।

अतः वित्तीय स्तरोन्नयन सम्बन्धी निगमादेश संख्याः–1300/मा0सं0–04/उनिलि/2017, दिनांक 31.08.2017 सपठित आदेश संख्या 1427/मा0सं0–04/उनिलि/2017, दिनांक 26.09.2017 में निहित संगत प्राविधानानुसार उक्त समस्त अवर अभियन्ताओं को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन पर ग्रेड वेतन–4800 (लेवल–8) एवं द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन पर ग्रेड वेतन–5400 (लेवल–10) का लाभ प्रोन्नति के फलस्वरूप स्वतः प्राप्त हो चुका है।

तद्नुसार, ऐसे समस्त अवर अभियन्ता, जिनकी प्रोन्नति सहायक अभियन्ता के पद पर कुल 09 वर्ष की नियमित/संतोषजनक सेवा पूर्ण किये जाने से पूर्व अथवा 09 वर्ष नियमित/संतोषजनक सेवा पूर्ण किये जाने के पश्चात परन्तु 14 वर्ष की नियमित/संतोषजनक सेवा पूर्ण किये जाने की अवधि से पूर्व, हुई है उन्हें द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन की स्वीकृति सम्बन्धी आदेश निर्गत किया जाना नियमानुकूल नहीं है, क्योंकि उन्हें सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ स्वतः प्राप्त हो चुका है।

5– इस सम्बन्ध में अग्रेतर कृपया अवगत कराना है कि वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप सं0–02–मा0सं0–03/उनिलि/2020, दिनांक 01.01.2020 में प्रस्तर–3 के अन्तर्गत तालिका में क्रम सं0 01 से 55 पर अंकित अवर अभियन्ताओं (ग्रेड–वेतन 4600, लेवल–7), जो कि वर्ष 2001 में निगम में कार्यभार ग्रहण किये थे, को देय प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु यथानिर्धारित कुल 09 वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा से पूर्व ही उनकी प्रोन्नति सहायक अभियन्ता (ग्रेड–वेतन 5400, लेवल–10) के पद पर वर्ष 2008 में हो चुकी थी।

अग्रेतर यह अवगत कराना है कि वित्तीय स्तरोन्नयन सम्बन्धी निगमादेश संख्याः–1300/मा0सं0–04/उनिलि/2017, दिनांक 31.08.2017 सपठित आदेश संख्या 1427/मा0सं0–04/उनिलि/2017, दिनांक 26.09.2017 में निहित संगत प्राविधानानुसार उक्त समस्त अवर अभियन्ताओं को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन पर ग्रेड वेतन–4800 (लेवल–8) एवं द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन पर ग्रेड वेतन–5400 (लेवल–10) का लाभ प्रोन्नति के फलस्वरूप स्वतः प्राप्त हो चुका था।

अग्रेतर यह अवगत कराना है कि निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1300–मा0सं0–03/उनिलि/2014, दिनांक 05.06.2015 द्वारा उक्त समस्त अवर अभियन्ताओं को वर्ष 2008 में सहायक अभियन्ता के पद पर उनकी प्रोन्नति की तिथि से 05 वर्ष की नियमित एवं सतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत करते हुए उन्हें उच्चतर ग्रेड–वेतन–6600 (लेवल–11) निर्धारित किया जा चुका है, जो कि शासनादेश सं0 6/2019/वे0आ0–2–279/ दस–2019–62(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 04.11.2019 के प्राविधानानुसार उन्हें अनुमन्य किया गया ग्रेड–वेतन–6600 (लेवल–11) वस्तुतः उनका तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन है। इस प्रकार उक्त समस्त अवर अभियन्ताओं को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन पर देय ग्रेड–वेतन–6600 (लेवल–11) का लाभ उन्हें पूर्व में ही प्राप्त हो चुका था।

इस सम्बन्ध में अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप सं0–02–मा0सं0–03/उनिलि/2020, दिनांक 01.01.2020 में प्रस्तर–3 के अन्तर्गत तालिका में क्रम सं0 01 से 55 पर अंकित अवर अभियन्ताओं द्वारा वित्तीय स्तरोन्नयन के सम्बन्ध में निगम में विद्यमान संगत निगमादेश संख्याः–1300/मा0सं0–04/उनिलि/2017, दिनांक 31.08.2017 सपठित आदेश संख्या 1427/ मा0सं0–04/उनिलि/2017, दिनांक 26.09.2017 में निहित संगत प्राविधानों के विपरीत यह माँग की जा रही है कि उन्हें रू0 8700–(लेवल–12) का उच्चतर ग्रेड–वेतन प्रदान किया जाय, जो कि चतुर्थ वित्तीय स्तरोन्नयन होगा एवं यह निगम में विद्यमान संगत नियमों से आवरित नहीं है।

क्रमशः.....4/–

6– इस सम्बन्ध में अग्रेतर अवगत कराना है कि वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप सं0–02–मा0सं0–03/उनिलि/2020, दिनांक 01.01.2020 में प्रस्तर–3 के अन्तर्गत तालिका में क्रम सं0 02, 20, 21 एवं 22 पर अंकित अवर अभियन्ताओं क्रमशः श्री प्रभुनाथ शर्मा, सहायक अभियन्ता(प्रोन्नत), श्री श्याम कृष्ण, सहायक अभियन्ता(प्रोन्नत), श्री राजेन्द्र कृष्ण, सहायक अभियन्ता(प्रोन्नत) एवं श्री राजेश कुमार पाण्डेय, सहायक अभियन्ता(प्रोन्नत) को निगम मुख्यालय, लखनऊ की लेखा शाखा द्वारा निर्गत वेतन प्राधिकार पत्र सं0 258– दिनांक 10.01.2020, सं0 190– दिनांक 07.01.2020, सं0 238– दिनांक 08.01.2020 एवं सं0 253– दिनांक 09.01.2020 को तत्समय प्रबन्ध निदेशक महोदय के निर्देशानुसार निगमादेश सं0 301– दिनांक 17.01.2020 द्वारा स्थगित कर दिया गया था।

7– अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों सहित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन सम्बन्धी निगमादेश संख्याः–1300/मा0सं0–04/उनिलि/2017, दिनांक 31.08.2017 सपठित आदेश संख्या 1427/मा0सं0–04/उनिलि/2017, दिनांक 26.09.2017 में निहित संगत प्राविधानानुसार निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 09.04.2023 को परिचालन विधि से लिये गये निर्णय के अनुसार निम्नवत आदेशित किया जाता हैः–

(क) वित्तीय स्तरोन्नयन सम्बन्धी निगमादेश संख्याः–1300/मा0सं0–04/उनिलि/2017, दिनांक 31.08.2017 सपठित आदेश संख्या 1427/मा0सं0–04/उनिलि/2017, दिनांक 26.09.2017 में निहित संगत प्राविधानानुसार एवं शासनादेश सं0 6/2019/वे0आ0–2–279/दस–2019–62(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 04.11.2019 में वर्णित सिद्धांत के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0–02–मा0सं0–03/उनिलि/2020, दिनांक 01.01.2020 के प्रस्तर–2 के अन्तर्गत तालिका में क्रम सं0 19 से 64 पर अंकित अवर अभियन्ताओं (प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं) एवं प्रस्तर–3 के अन्तर्गत तालिका में क्रम सं0 01 से 55 पर अंकित अवर अभियन्ताओं (प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं) को स्वीकृत किये गये क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन को निरस्त किया जाता है।

(ख) वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप सं0–02–मा0सं0–03/उनिलि/2020, दिनांक 01.01.2020 में प्रस्तर–3 के अन्तर्गत तालिका में क्रम सं0 02, 20, 21 एवं 22 पर अंकित अवर अभियन्ताओं क्रमशः श्री प्रभुनाथ शर्मा, सहायक अभियन्ता(प्रोन्नत), श्री श्याम कृष्ण, सहायक अभियन्ता(प्रोन्नत), श्री राजेन्द्र कृष्ण, सहायक अभियन्ता(प्रोन्नत) एवं श्री राजेश कुमार पाण्डेय, सहायक अभियन्ता(प्रोन्नत) को निगम मुख्यालय, लखनऊ द्वारा निर्गत वेतन प्राधिकार पत्र सं0 258– दिनांक 10.01.2020, सं0 190–दिनांक 07.01.2020, सं0 238– दिनांक 08.01.2020 एवं सं0 253–दिनांक 09.01.2020 को निगमादेश सं0 301–दिनांक 17.01.2020 द्वारा स्थगित कर दिया गया था। उक्त निर्गत वेतन प्राधिकार प्रपत्रों यथा सं0 258– दिनांक 10.01.2020, सं0 190– दिनांक 07.01.2020, सं0 238– दिनांक 08.01.2020 एवं सं0 253–दिनांक 09.01.2020 को निगम मे विद्यमान सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन की व्यवस्था के अन्तर्गत नवीन वित्तीय स्तरोन्न्यन के संगत निगमादेशों के प्राविधानानुसार न होने के कारण निरस्त किया जाता है।

(ग) उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप सं0–02–मा0सं0–03/उनिलि/2020, दिनांक 01.01.2020 में द्वारा अन्य समस्त कार्मिकों को स्वीकृत प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के आदेश एवं अंकित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

क्रमशः.....5/–

(घ) उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी आदेशित किया जाता है कि वित्तीय स्तरोन्नयन सम्बन्धी निगमादेश संख्याः–1300/मा0सं0–04/उनिलि/2017, दिनांक 31.08.2017 सपठित आदेश संख्या 1427/मा0सं0–04/उनिलि/2017, दिनांक 26.09.2017 एवं शासनादेश सं0 6/2019 /वे0आ0–2–279/दस–2019–62(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 04.11.2019 में वर्णित सिद्धांत के अनुसार उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में दिनांक 28.02.2009 से प्रभावी सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) व्यवस्था के अन्तर्गत निगम में कार्यरत कार्मिकों को पूर्व में स्वीकृत किये गये समविषयक संगत वित्तीय स्तरोन्नयन के सम्बन्ध में जारी समस्त निगमादेश स्वतः उपरोक्त सीमा तक संशोधित माने जायेंगे और तदनुसार आवश्यक प्रत्यापित, सम्बन्धित कार्मिक से सुनिश्चित की जायेगी।

(ङ) उक्त के सम्बन्ध में आनुषंगिक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0नि0लि0 को अधिकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्र सं0 817 –मा0सं0–03/उनिलि/2023 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) /(तकनीकी)/(वित्त)/(परियोजना एवं वाणिज्य), उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर/निजी सचिव।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत परियोजना/जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)/मलावन(एटा)।
5. मुख्य अभियन्ता(मा0सं0), उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
6. मुख्य अभियन्ता(स्तर–I/II), वाणिज्य /ईंधन/आर एण्ड एम/जनपद नव परियोजना/पीपीएमएम/पर्यावरण एवं सुरक्षा/न्यू कोल ब्लॉक, उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
7. कम्पनी सचिव, उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. सचिव/अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक/अनु सचिव/अधिशासी अभियन्ता (उत्पादन सेवा आयोग/मा0सं0–01/02/03/04/05/06/रिफॉर्म/औ0सं0 इकाई/टा0वा0से0/प्रशिक्षण, उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
10. अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय), केस्को, 14/71, सिविल लाईन्स, केसा हाउस, कानपुर।
11. उप मुख्य लेखाधिकारी, अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत परियोजना/जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)/मलावन(एटा)।
12. उप मुख्य लेखाधिकारी, उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. कट फाईल।

आज्ञा से,

10/04/2023

(राजकुमार मिश्रा)